UPRN120002452007

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट भोगनीपुर, कानपुर देहात।

पीठासीन अधिकारी–सुनील गुप्ता (उ०प्र० न्यायिक सेवा) I.D.No–UP3805

मु०नं०–976/2007

उत्तर प्रदेश राज्य ..... अभियोजन ।

बनाम

1–श्रीकृष्ण पुत्र रामेश्वर ।

निवासी ग्राम मोहदियापुर थाना भोगनीपुर कानपुर देहात ।

अ०सं० 78/2007

धारा–324, 504, 506 भा०द०सं०।

थाना–भोगनीपुर, कानपुर देहात ।

16–10–2024

पत्रावली पेश हुई । अभियुक्त श्रीकृष्ण न्यायालय उपस्थित आया । अभियुक्त की ओर से जुर्म इकबाल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा कथन किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त जुर्म इकबाल करना चाहता है । न्यायहित में अभियुक्त के उपरोक्त मुकदमे का निस्तारण जुर्म इकबाल के आधार पर करने की कृपा की जाये।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

अभियुक्त के द्वारा स्वेच्छा से अपना जुर्म इकबाल किया गया है । जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर बयान मुल्जिम अंकित किया गया । जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त श्रीकृष्ण को अन्तर्गत धारा– 324, 504, 506 भा०द०सं० मे दोष सिद्ध किये जाने के आधार पर्याप्त है । अभियुक्त श्रीकृष्ण को अन्तर्गत धारा – 324, 504, 506 भा०द०सं० के अपराध में दोष सिद्ध किया जाता है । अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया । पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु लंच वाद पेश हो।

दिनांक 16–10-2024

(सुनील गुप्ता)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भोगनीपुर, कानपुर देहात ।
I.D.No-UP3805

पत्रावली लन्च बाद पेश हुई । अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

अभियुक्त द्वारा कथन किया गया है कि उसका काफी धन खर्च हो चुका है । यह उसका प्रथम अपराध है । भविष्य में पुनः कोई अपराध कारित नहीं करेगा । अतः सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाए ।

अभियुक्त द्वारा स्वेच्छ्या से अपना जुर्म स्वीकार किया गया । अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धि का प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए

Digitally signed by SUNIL GUPTA
Date: 2024.10.17 10:23:51 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

न्यायालय अभियुक्त पर उदार दृष्टिकोण रखती है । अभियुक्त को धारा –324, भा०द०सं० में मुब० 500/–रूपये, धारा 504 भा०द०सं० में मुब० 500/–रूपये धारा 506 भा०द०सं० में मुब० 1000/–रूपये के अर्थदण्ड तथा न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया जाना समीचीन प्रतीत होता है ।

आदेश

अभियुक्त श्रीकृष्ण को मु०अ०सं० 78/2007 मु०नं० 976 /2007 थाना–भोगनीपुर, कानपुर देहात के प्रकरण में –324, भा०द०सं० में मुब० 500/–रूपये, धारा 504 भा०द०सं० में मुब० 500/–रूपये धारा 506 भा०द०सं० में मुब० 1000/–रूपये के अर्थदण्ड से तथा न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया जाता । अर्थ दण्ड अदा न करने पर अभियुक्त द्वारा एक सप्ताह की साधारण कारावास की सजा भुगती जायेगी ।

दिनांक 16–10-2024

(सुनील गुप्ता)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भोगनीपुर, कानपुर देहात ।
I.D.No-UP3805

आज यह निर्णय एवं आदेश खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक 16–10–2024

(सुनील गुप्ता)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भोगनीपुर, कानपुर देहात ।
I.D.No-UP3805